

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Rohtak Year (वर्ष): 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0005

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

11/03/2025 16:35 hrs

2. S.No. (क्र.सं.) Acts (अधिनियम) Sections (धारा(एँ))

1 PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 7

2 THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023 308(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन):

Date from (दिनांक से):

Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से):

Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 11/03/2025

Time (समय): 16:10 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 010

Date and Time (दिनांक और समय):

11/03/2025 16:23 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 55 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): नजदीक हनुमान मन्दिर सोनीपत,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): अमन

(b) Father's Name (पिताका नाम): गुरविन्द्र सिंह

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1995

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)

ID Number (पहचान संख्या)

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	49/12, गुरुतेग बहादुर कालोनी कैथल, KAITHAL, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	49/12, गुरुतेग बहादुर कालोनी कैथल, KAITHAL, HARYANA, INDIA

- (j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8570918161

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	स030नि0 संजय			1. पुलिस थाना साईबर सेक्टर-23, सोनीपत SONIPAT, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में,

श्रीमान इस्पैक्टर

एन्टी करप्शन ब्यूरो कैथल।

श्रीमानजी,

निवेदन है कि मैं अमन पुत्र गुरविन्द्र सिंह मकान न0 49/12 गुरुतेग बहादुर कालोनी कैथल का वासी हूँ। मैं बी0 काम की पढाई कर रहा हूँ मैं अक्सर पेहवा गुरुद्वारा मैं सेवा करता हूँ मेरी हिमत सिंह वासी करनाल से जान पहचान हो गई है



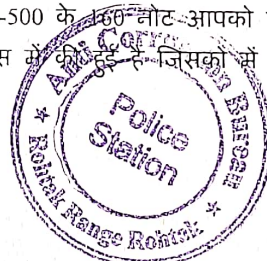
मुझे दो लाख रुपये की जरूरत थी। मैंने तो जुलाई 2024 में दो लाख रुपये हिम्मत सिंह से उधार ले लिए थे। सितम्बर 2024 में हिम्मत सिंह ने मुझे अपने दो लाख रुपये वापिस मांगे। इस पर नवम्बर 2024 में मैंने अपने दोस्त लवप्रीत सिंह निवासी इन्द्री जिला करनाल जो मेरे साथ पेहोवा गुरुद्वारा में सेवा करता था से उधार मांगे। जिसने मेरे कहने पर हिम्मत सिंह के द्वारा दिए गए खाते दो लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए फरवरी 2025 में मेरे पास हिम्मत सिंह का फोन आया कि जो आपने दो लाख रुपये मेरे खाते डलवाये हैं। उस सम्बन्ध में साईबर थाना सोनीपत की पुलिस मेरे आफिस करनाल में आई थी। आप लवप्रीत से पता करें कि वो रुपये कहा से डलवाये थे। मैं दिनांक 27.02.2025 को लवप्रीत के घर इन्द्री गया तो उसी समय सोनीपत साईबर पुलिस हिम्मत सिंह के साथ मौके पर आ गई और लवप्रीत अपने घर नहीं था। सोनीपत पुलिस ने मेरे से दो लाख रुपये बारे पुछताछ करने लगे। मैंने कहा कि ये दो लाख रुपये हिम्मत सिंह के खाते में लवप्रीत से उधार लेकर डलवाये हैं। इस बारे में लवप्रीत ही बता सकता है। कि ये रुपये उसने कहा से डलवाये हैं। साईबर पुलिस सोनीपत के एक कर्मचारी जो सादी बर्दी में था। उसने अपना नाम ASI संजय कुमार बताया था ASI संजय कुमार ने मुझे कहा कि जो तूने दो लाख रुपये हिम्मत सिंह के खाता में डलवाए हैं। वो रुपए फ्राड के हैं। तेरे को भी गिरफ्तार करना है। मैंने कहा कि मेरा क्या कसूर है। वह नहीं माना उसने एक कागज पर मेरे हस्ताक्षर करवा लिए और कहा कि दिनांक 28.02.2025 को थाना साईबर सोनीपत सैक्टर 23 में आ जाना। मैंने कहा कि मुझे एक सप्ताह के लिए बाहर जाना है। मैं दिनांक 08.03.2025 को अपने भाई पीयूष के साथ थाने में गया। जहाँ हमें ASI संजय कुमार मिला जिसने मुझ पर काफी दबाव बनाया व गिरफ्तार करने की धमकी दी। फिर उसने मेरे को कहा कि अगर आपको गिरफ्तारी से बचना है तो मुझे दो लाख रुपये देने होंगे। मैंने कहा कि मैं कहा से दूंगा मैं तो स्टूडेंट हूँ तथा घर के हालात भी ठीक नहीं हैं मेरे से इतने रुपये नहीं हो पाएंगे जिस पर संजय कुमार ASI ने मुझ पर दबाव बनाया और बारगेन करने लगा और कहा कि उपर्युक्त पूरी टीम में बँटेंगे जिस पर हमारा आपस में 80,000 रुपये में मामला तय हो गया ASI संजय कुमार ने कहा कि यह तो देने ही होंगे तब आपको इस केस से फारिक कर दिया जाएगा और कहा जब भी आप आओ बिना फोन करके थाना आना मैं या कोई अन्य यही मिलेंगे ASI संजय कुमार के द्वारा मांगी गई रिश्त राशी के 80,000/- रुपये उसको नहीं देना चाहता। यदि मैं आपको रुपये नहीं दूंगा तो वो मुझे किसी झुठे केस में फसा देगा मैं ASI संजय कुमार को या उसके द्वारा भेजे गए अन्य पुलिस कर्मचारी को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ मैंने दरखास्त के साथ 500-500 के 160 नोट आपको पेश कर दिए हैं और इस सम्बन्ध में मैंने रिश्त मांगने सम्बन्धी बातचीत रिकार्डिंग डिवाइस में की है जिसको मैं बाद में आपको पेश कर दूंगा उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए

हस्ता अंग्रेजी AMAN

शिकायतकर्ता

8570918161

दिनांक 11.03.2025



कार्यवाही पुलिस:- आज दिनांक 11.03.2025 को मन निरीक्षक हाजिर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपकेन्द्र कैथल था कि पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल अम्बाला के मोबाईल फोन से आदेश प्राप्त हुआ कि आप शिकायतकर्ता अमन पुत्र गुरविन्द्र सिंह वासी मकान न. 49/12 गुरुतेग बहादुर कॉलोनी, कैथल के मोबाईल नम्बर 8570918161 पर रेड बारे सम्पर्क करें। जो उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार मन निरीक्षक द्वारा शिकायतकर्ता अमन से उसके उक्त न. पर सम्पर्क किया गया और जिसने बतलाया कि वह श्री हनुमान मन्दिर, नजदीक पुलिस लाइन सोनीपत के पास मिलकर अपनी बात बताएगा। जिस पर मन निरीक्षक मय उ.नि. निर्भय सिंह न. 21/AMB, स.उ.नि. विशाल न. 366/GGN, स.उ.नि. सुनील कुमार न. 2/87 व स.उ.नि. सेवती राम न. 308/KTL बा सवारी गाडी सरकारी न. IIR03 GV 1432 जिसका चालक मु.सि. रोहित न. 107/KKR व गाडी प्राईवेट के श्री हनुमान मन्दिर सोनीपत में पहुँचा हूँ। जहाँ पर शिकायतकर्ता अमन पुत्र गुरविन्द्र सिंह वासी मकान न. 49/12 गुरुतेग बहादुर कॉलोनी, कैथल हाजिर मिला। शिकायतकर्ता अमन ने एक हस्तलिखित दरखास्त मन निरीक्षक को पेश की जिस पर मन निरीक्षक ने शिकायतकर्ता से रेड करवाने बारे पूछताछ की और सन्तुष्ट होने पर मन निरीक्षक की हिदायत अनुसार शिकायतकर्ता ने 500-500 रुपए के 160 अदद करेन्सी नोट मुबलिक 80,000/- रुपए पेश किए। जिनको फर्द द्वारा कब्जा पुलिस में लेकर अलग से फर्द सूचि करेन्सी नोट तैयार की गई। फर्द सूचि करेन्सी नोट पर मन निरीक्षक व शिकायतकर्ता अमन ने अपने-अपने हस्ताक्षर किए। दरखास्त के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, भ.नि.ब्यूरो रोहतक के संज्ञान में लाकर राजपत्रित अधिकारी के सम्बन्ध में उचित आदेश प्राप्त होने उपरान्त मेरे द्वारा श्री विशील सहरावत DFSC सोनीपत से सम्पर्क किया

गया और हालात बारे अवगत करवाकर पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, रोहतक के आदेश बारे बतलाया और एक छाया गवाह अपने साथ लेकर हाजिर नजदीक पुलिस लाईन (सोनीपत) श्री हनुमान मन्दिर पर आने बारे सूचित किया गया। दरखास्त के मजबूत से स.उ.नि. संजय पुलिस थाना साईबर सैक्टर-23 सोनीपत के खिलाफ सूरत जुर्म जेर धारा 7 PC Act 1988 308(2) BNS 2023 का सरजद होना पाया गया। मन निरीक्षक मय उ.नि. निर्भय सिंह न. 21/AMB, स.उ.नि. विशाल न. 366/GGN, स.उ.नि. सुनील कुमार न. 2/87 व स.उ.नि. सेवती राग न. 308/KTL वा सवारी गाड़ी सरकारी न. 11R03 GV 1432 जिसका चालक मु.सि. रोहित न. 107/KKR व गाड़ी प्राईवेट तथा तफ्तीशी बैग, विडियो कैमरा, लैपटॉप व प्रिन्टर सहित रेडिंग पार्टी तैयार की गई। तहरीर बराये कायमी अभियोग बदस्त मु.सि. धर्मवीर न. 1561/ अम्बाला के थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक मण्डल रोहतक भेजी जा रही है। बाद कायमी अभियोग नम्बर अभियोग से सूचित किया जावे व अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट सोनीपत व अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई जाए व असल लेख मय पुलिस फाईल मौका पर भिजवाई जाए।

हस्ता अंग्रेजी MOHINDER

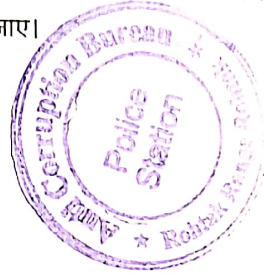
निरीक्षक

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

उपकेन्द्र कैथल।

दिनांक 11.03.2025

समय:- 1:30 PM



अज थाना- हस्त आमदा तहरीर प्राप्त होने पर मु0 न0 05 दिनांक 11.03.2025 धारा 7 P.C Act 1988 308(2) BNS 2023 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर कम्प्यूटर प्रतिया तैयार कि गई अफसरान बाला व ड्युटी मैजिस्ट्रेट साहब को बजरीया स्पेशल मैसेन्जर/मेल द्वारा सूचना दी गई व मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार तैयार करके ड्युटी मैजिस्ट्रेट साहब सोनीपत को देने के लिये व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हवाले आरिन्दा बदस्त मु.सि. धर्मवीर न. 1561/ अम्बाला की जाकर रवाना अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा मुनासिब हिदायत दी गई। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से सी0डी0सी निरीक्षक संजीव कुमार 944/सोनीपत की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है। नोट थाना हजा में निरीक्षक मोहिन्द्र सिंह की सी0सी0टी0एन0 आई0डी0 नही होने के कारण अनुसंधान अधिकारी निरीक्षक पवन कुमार HAP/84 भ्र0नि0ब्यूरो रोहतक को दर्शाया गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Pawan Rank (पद): I (Inspector)
KUMAR
No. (सं.): RWR561 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.

(आर.ओ.ए.सी.)



Sanjeev

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Sanjeev

Rank (पद): Inspector

No. □ 944/SPT)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):